रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062023-246216
CG-DL-E-01062023-246216

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 2023/ज्येष्ठ 11, 1945
No. 332] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2023/JYAISHTHA 11, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2023

सा.का.नि. 406(अ).—केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (पाँचवा संशोधन) नियम, 2023 है।

(ii) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 14 के उपनियम (1) में पहले परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रावधान जोड़े जा जाएंगे ।

परन्तु यह कि मौजूदा खुदरा विक्रेता या डीलर की मृत्यु के मामले में, मृतक खुदरा विक्रेता या डीलर के परिवार के सदस्य, अनुज्ञापत्र की अवधि के दौरान, उत्तराधिकार कानूनों की प्रयोज्यता और संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी के समक्ष मृत खुदरा विक्रेता या डीलर के मृत्यु प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर अनुज्ञापत्र को अपने नाम पर स्थानांतरित करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

परन्तु यह भी कि मृतक खुदरा विक्रेता या डीलर के परिवार के सदस्य जो निर्धारित योग्यता के बिना हैं, उन्हें अनुज्ञापत्र के हस्तांतरण के लिए कीटनाशक प्रबंधन में प्रमाण पत्र कोर्स करना होगा। अनुज्ञापत्र अस्थायी रूप से परिवार के सदस्य को एक वर्ष की अवधि के लिए या परिवार के सदस्य द्वारा कीटनाशक प्रबंधन में प्रमाण पत्र कोर्स पूरा करने तक, जो भी पहले हो, हस्तांतरित किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान आवेदक निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाले व्यक्ति को नियोजित कर सकता है।

[फा. सं. 13035/28/2014-पी.पी-I (खंड–vii)]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 315(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2023

G.S.R 406(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at jspp-dac@gov.in.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.—**(i) These rules may be called the Insecticides (Fifth Amendment) Rules, 2023.

(ii) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 14, sub rule(1), after the first proviso, following provision may be inserted:

Provided that in case of death of the existing retailer or dealer, the family member of the deceased retailer or dealer, during the currency of the license, may apply for permission to transfer the license in his name subject to the

applicability of succession laws and submission of the death certificate of the deceased dealer or retailer before the concerned licensing officer.

Provided also that the family member of the deceased retailer or dealer who is without the prescribed qualification shall undergo the certificate course in insecticides management for transfer of license. The license can be provisionally transferred to the family member for a period of one year or till the family member completes the certificate course in insecticides management, whichever is earlier. During this period the applicant can employ a person with prescribed educational qualifications.

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (vol.vii)]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and was amended vide G.S.R.315(E) dated 26th April.2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA